31

9	राजेश पुत्र सुखलाल	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	लिन्टर पोश	80 वर्ग मी0	बिजली का बिल–2.12.2016 / पानी का बिल–27.02.2014 / हाउस टैक्स–8.06.2018
10	दिवान चन्द्र पुत्र मोहन लाल	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	लिन्टर पोश	30 वर्ग मी0	पानी का बिल 12.03.2015 नगर निगम टैक्स 2018 भवन निर्माण का मूल्याकन 1.1.2014
11	सुभावती पत्नी हरि सिंह	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	260 वर्ग मी0	पानी का बिल 2.02.2010–20.07. 2014 / बिजली का बिल 16.06.2014 का है।
12	राम किशोर उर्फ हरि किशोर	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	48 वर्ग मी0	बिजली का बिल 5.07.2015 राम किशोर के नाम से लगाया गया है।,
13	बन्टी पुत्र भूरे	बार्डीगार्ड	जाखन	1121	टीन पोश	21 वर्ग मी0	बिजली का बिल–7.7.2015 पानी का बिल–4.9.2023 आधार–1.1. 2013,
14	स्वाति भटट् पत्नी नारायण भटट्	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	72 वर्ग मी0	मेडिकल–23.7.2017 / पालिसी–15. 12.2012 नगर निगम भवन कर–2014 का तथा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.08.2014 का है।
15	राम चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 02.04.2014 का व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.08.2014 का है।
16	नितिन पुत्र सुरेश कुमार	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	36 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 03.03.2016 का है व गैस कनेक्शन 25.05.2013 का है।
17	प्रीति पत्नी शर्मा	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	60 वर्ग मी0	गैस कनेक्शन 20.07.2014, राशन कार्ड 2015, आधार कार्ड 27.11.2014 का है।
18	कुष्णावती पत्नी राज करन	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	48 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 02.04.2014, राशन कार्ड 16.06.2014 का है।
19	जवाहर राम पुत्र दीनदयाल राम	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	108 मी0	वोटर कार्ड 28.12.2015, राशन कार्ड 20.05.2015 का है।
20	मन्चुन पत्नी योगिन्दर	बाडी गार्ड जाखन	जाखन	1121	टिन शेड आवास	77वर्ग मी0	आधार कार्ड 05.01.2015 का है।

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

(शम्भू नाथ गांगुली)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(आत्मा राम सैनी)
राजस्व निरीक्षक
नगर निगम देहरादून

(राहुल कैंथोला)
कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

(अजयवर्ती प्रताप रतूड़ी)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

नगर निगम (देहरादून)

Annexure No. 3

32

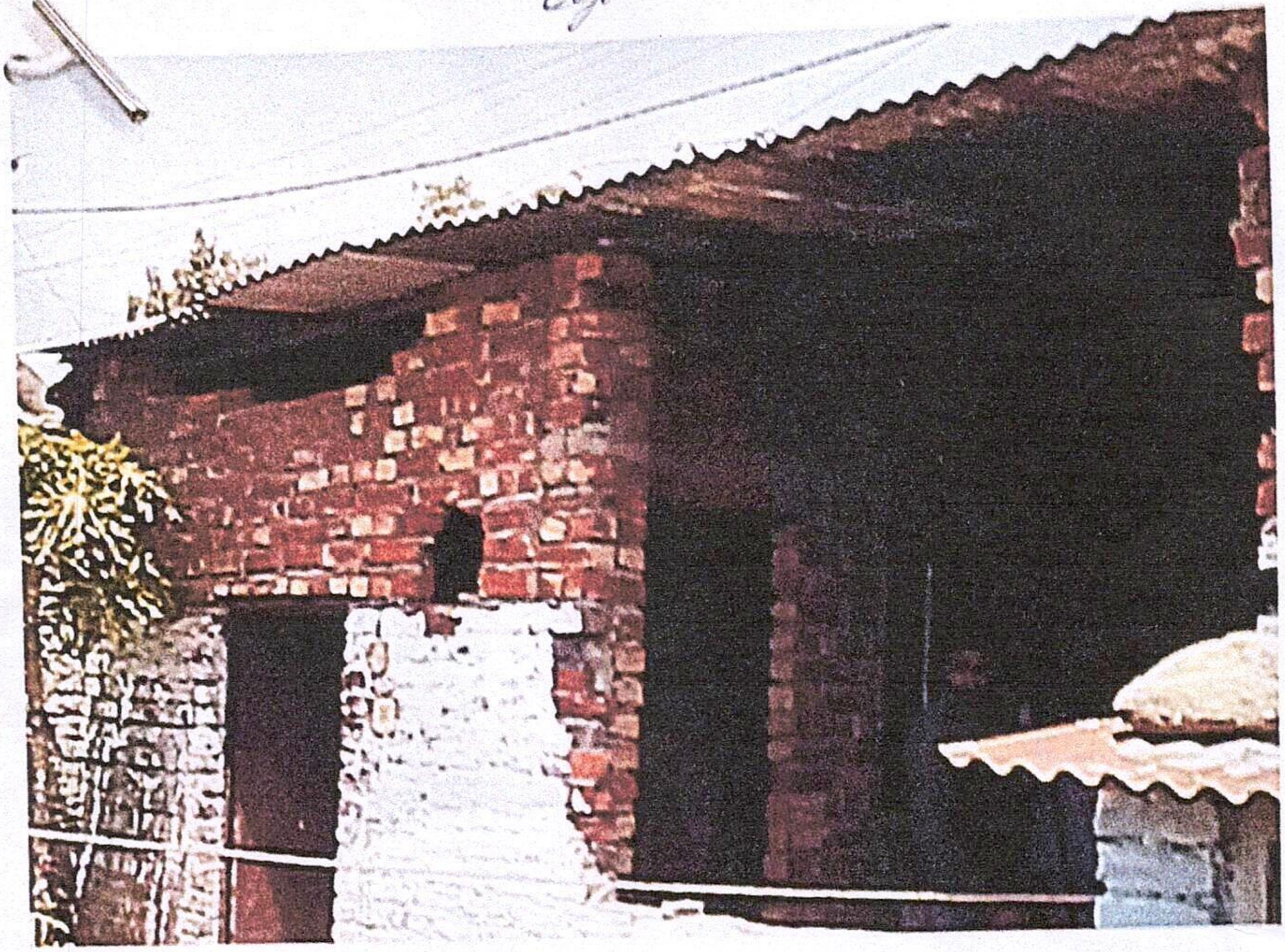

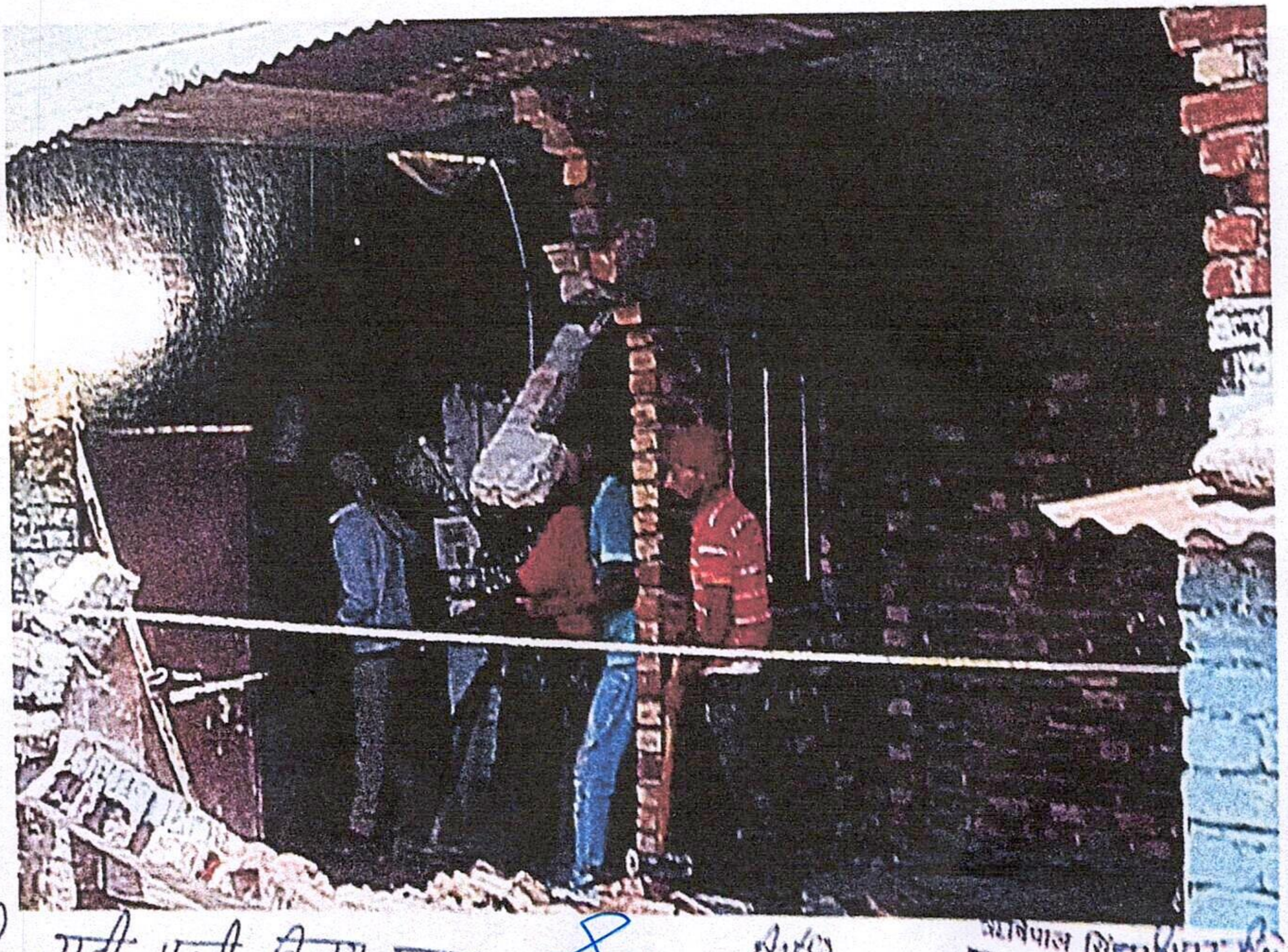

(1)
(391) रानी पत्नी विजय कुमार

After

सतेन्द्रपाल सिंह ... कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम ...

Before

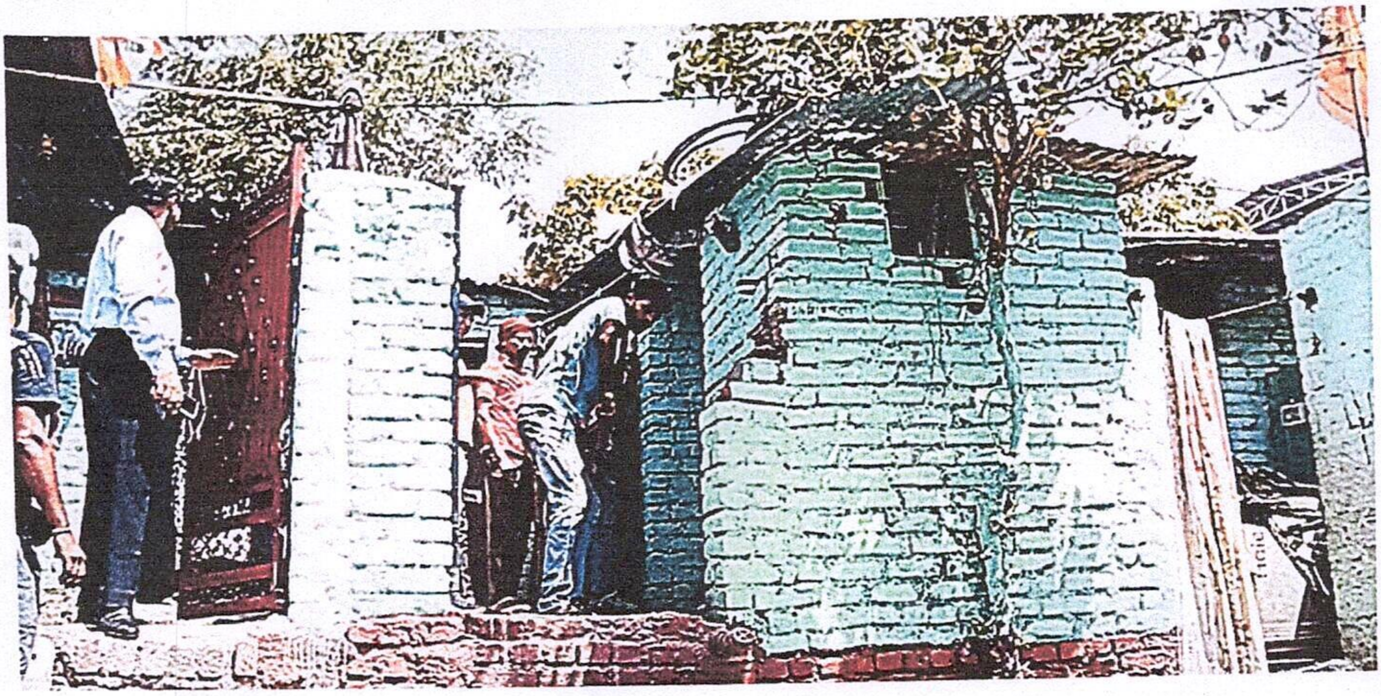

(28)
(437) विपिन पुत्र शिवचरण बाडीगार्ड तासन

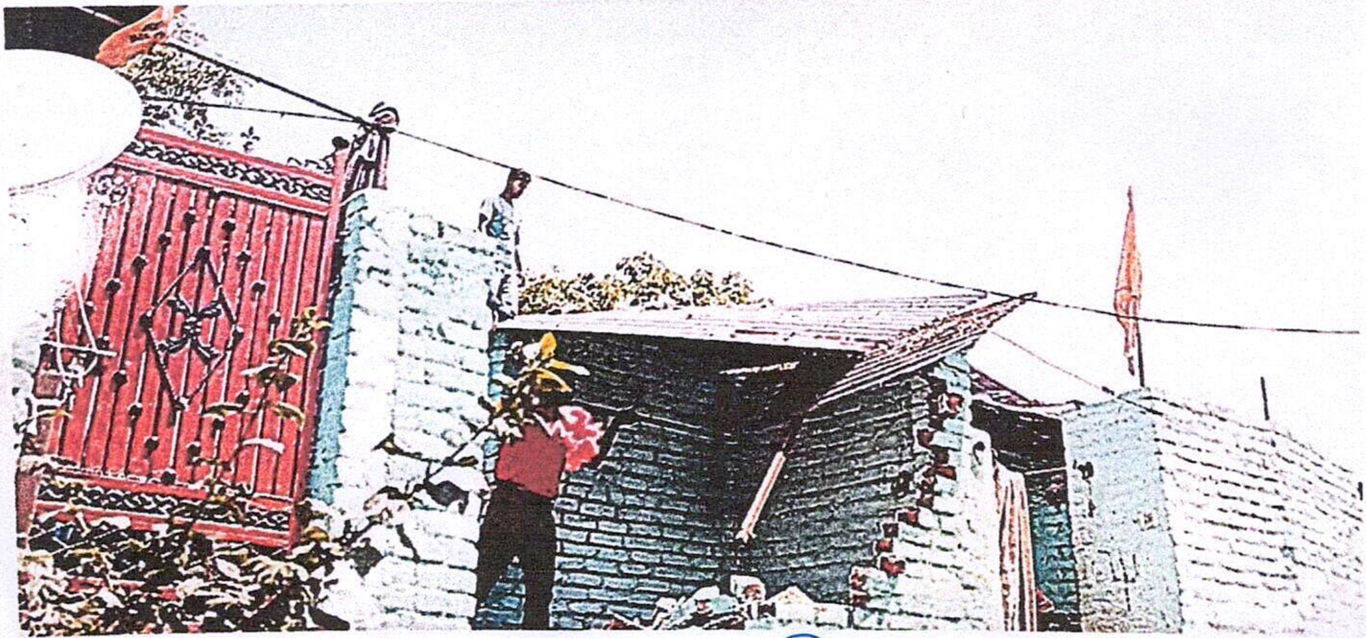

After

ऋषिपाल सिंह
ऋषिपाल सिंह
क० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

Before

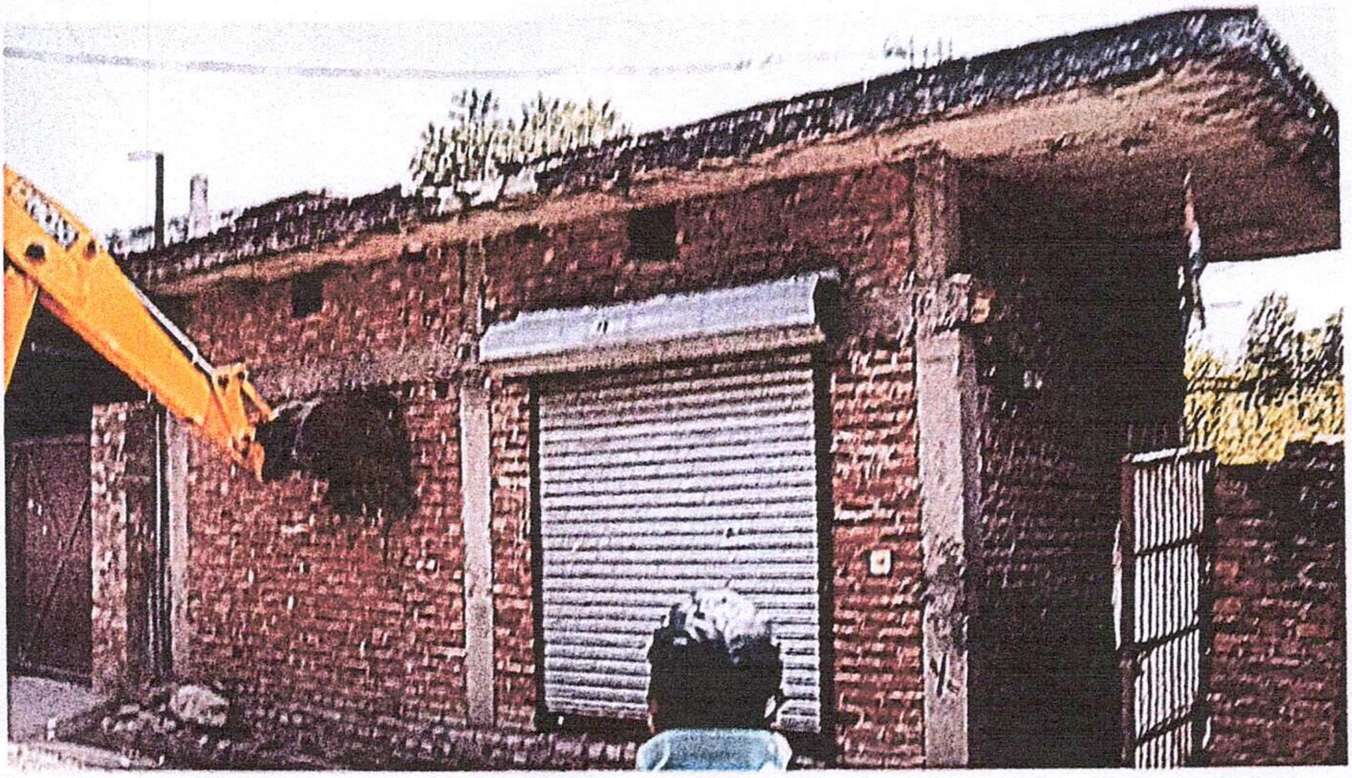

(12) सावित्री पत्नी विरेन्द्र रावत बाडीगार्ड नई बस्ती
(402)

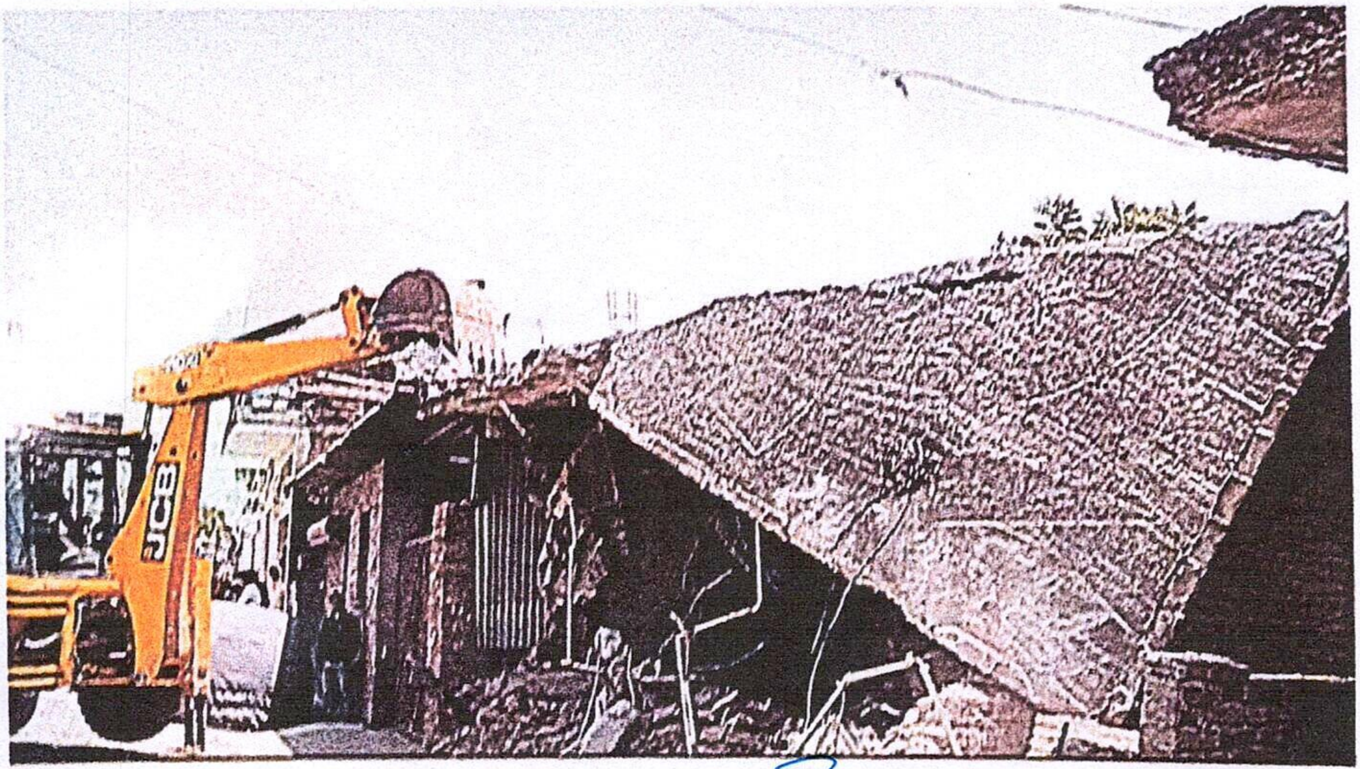

After

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

 35

(15)
(405) अजय कुमार पुत्र प्रवीन सिंह बाडीगार्ड नई बस्ती

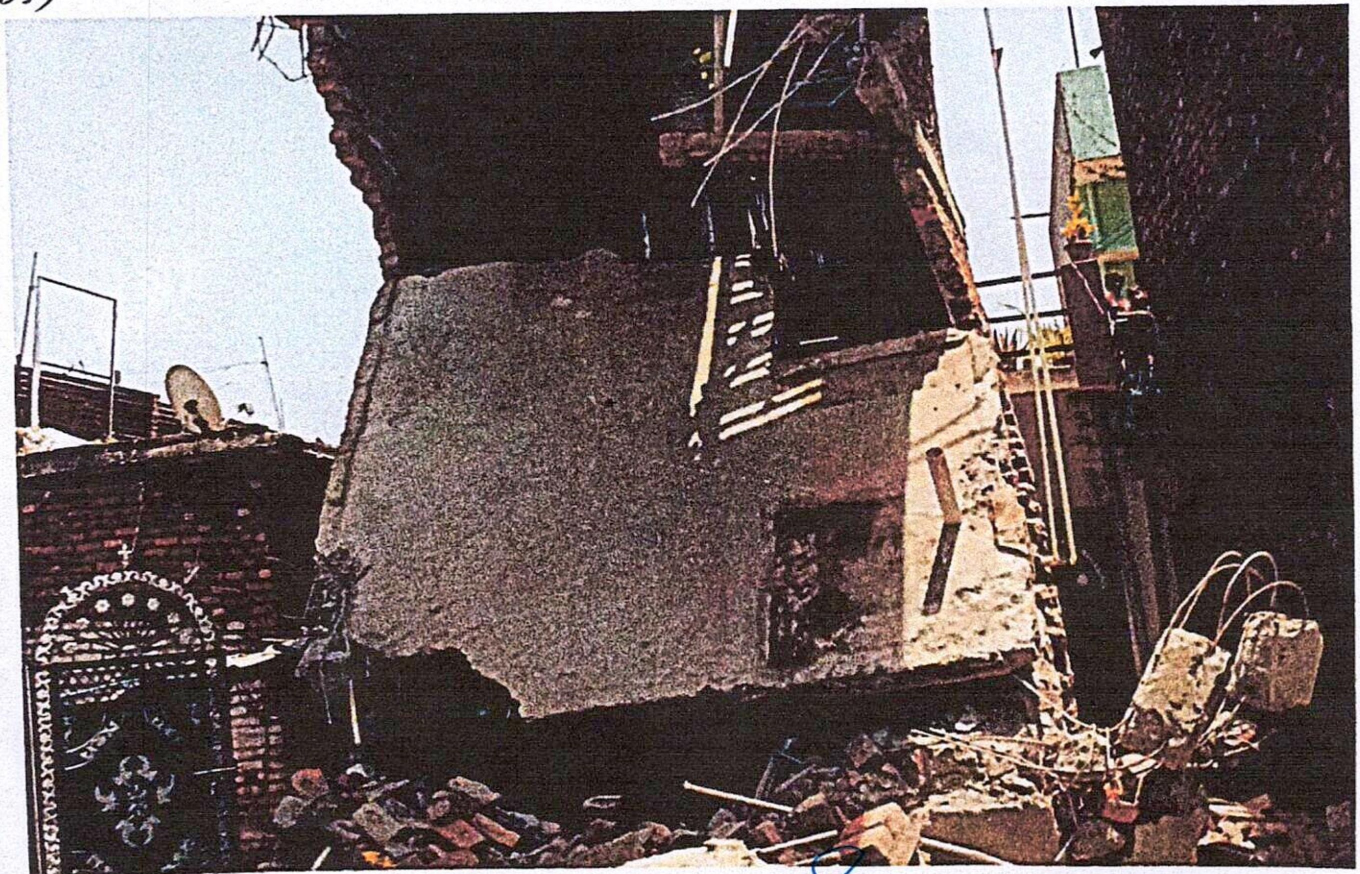

After

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

36

Before

8/398 नवाब पुत्र शकील बाडीगार्ड नई बस्ती

After

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम देहरादून

Before

33
467 प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा चन्दर रोड़

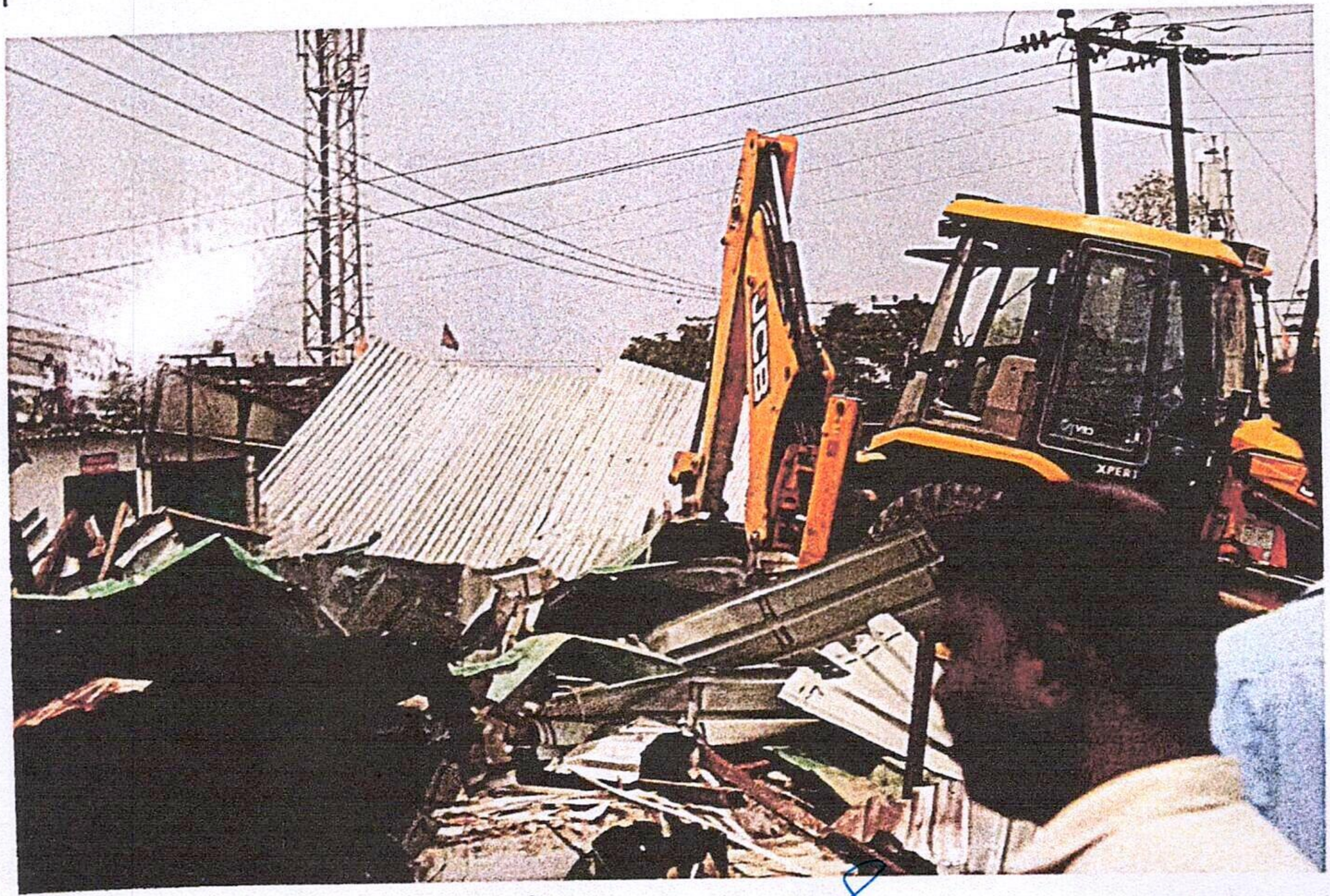

After

8

प्रवीन कुमार
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

Before 439

34 प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा चन्दर रोड़।
468

After

8

प्रभारी कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

39

Before

(35)
(469) श्री तिरेन्द्र सिंह पुत्री मुरली सिंह संजय कॉलोनी

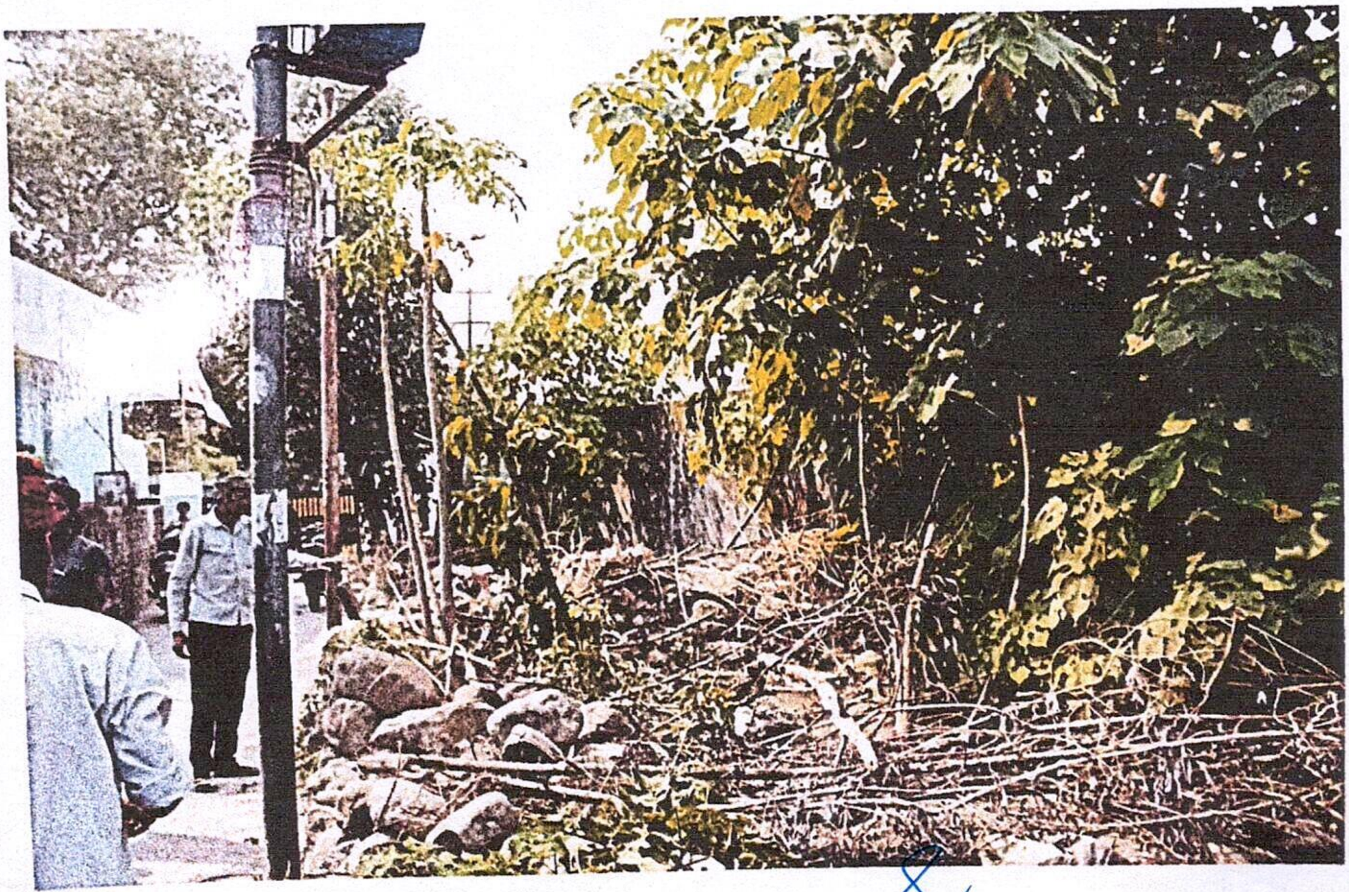

After

8

प्रवीन [illegible]
रा० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

(39) 473 प्रेमादेवी पत्नी राजेश रावत चन्दर रोड़

After

प्रवीन कठैत
व० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर-निगम, देहरादून

442

Before

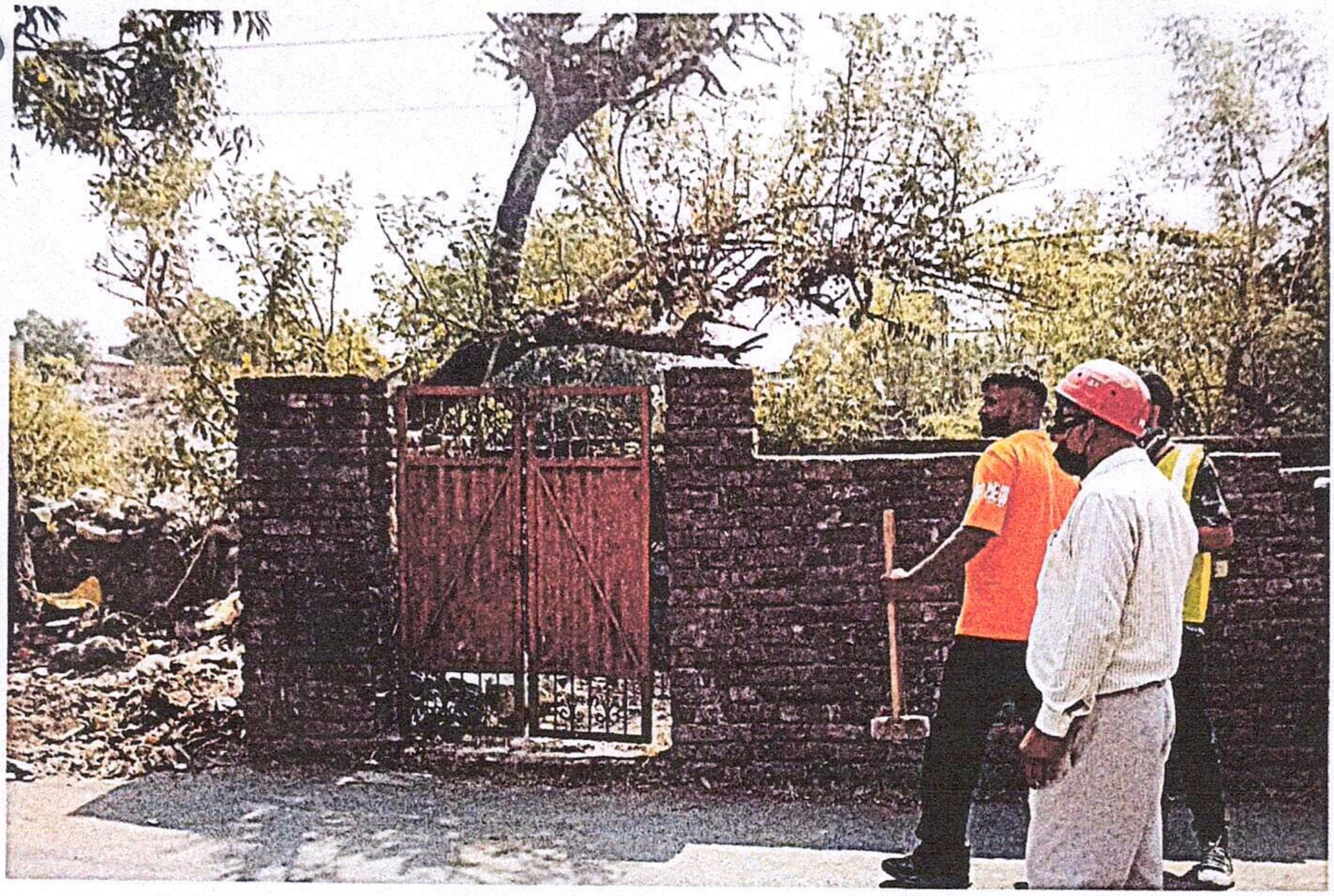

५० दीपक पुत्र ठाकुर सिंह चन्दरशेड
४७५

After

8

प्रवीण कठैत
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

42

Before

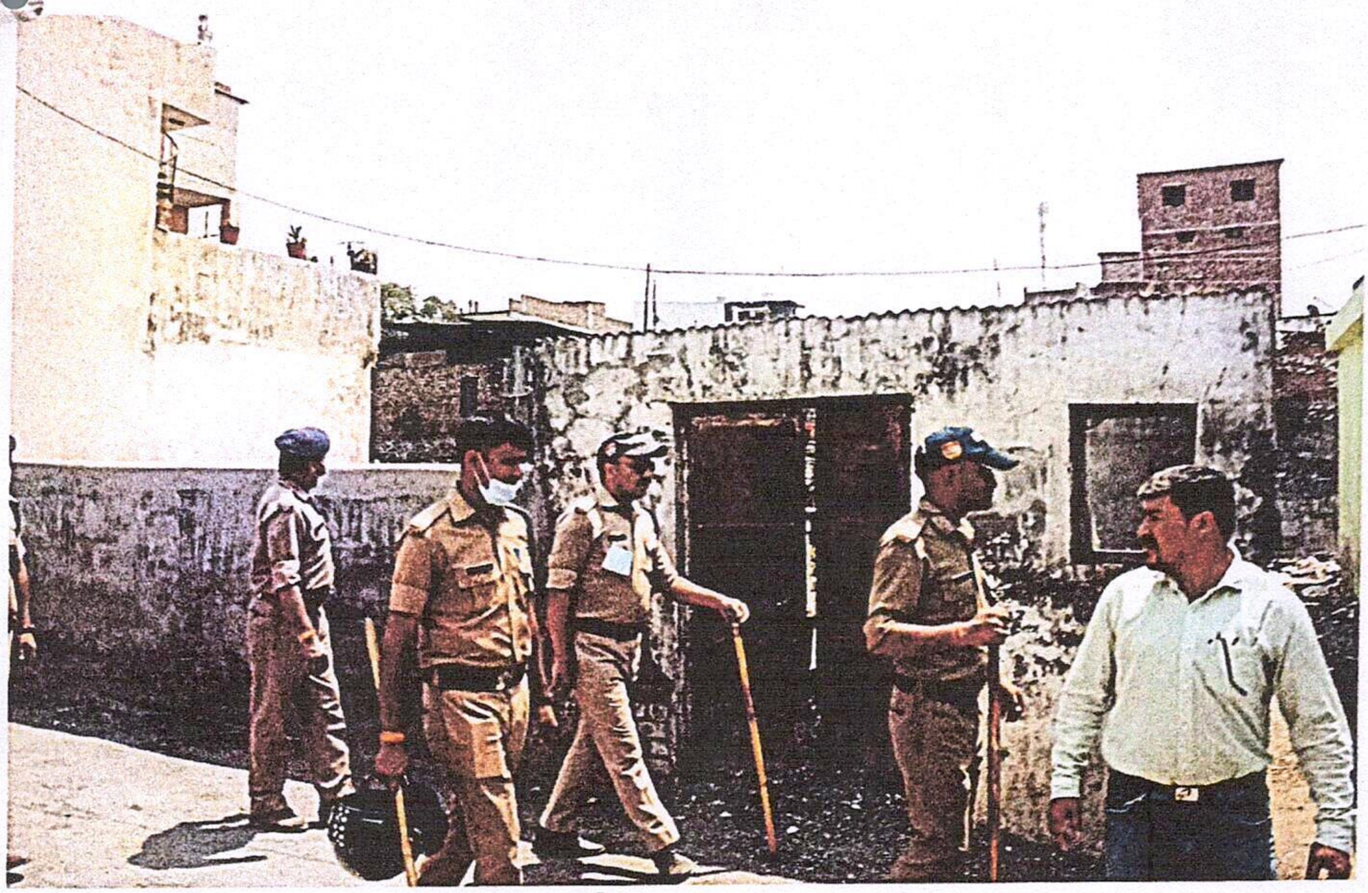

51 गुड्डी देवी पत्नी बिरेन्द्र सिंह
475

After

8

प्रवीन कुटैत
क० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

43

Before

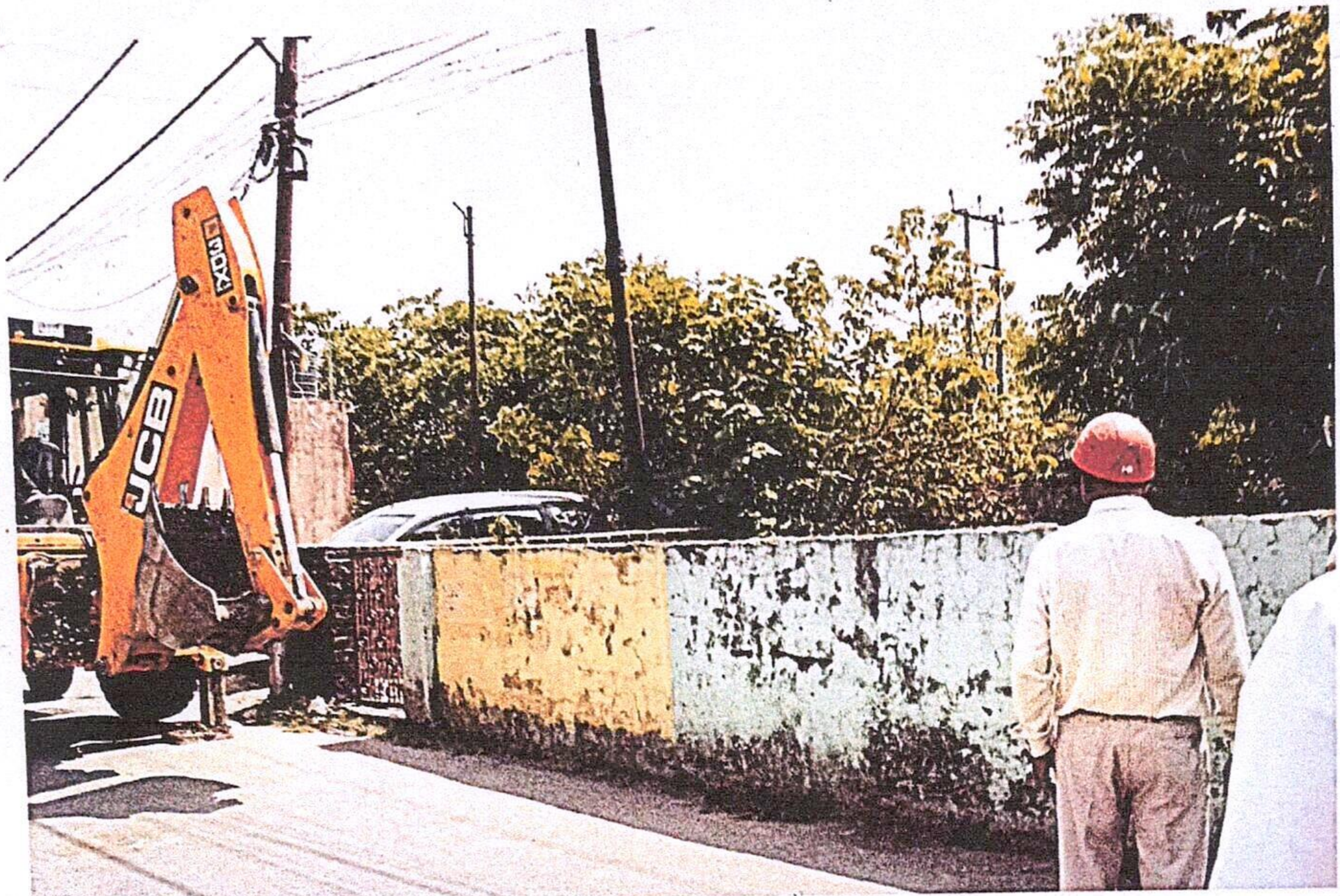

44-478 सुरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र खुशाल सिंह बिष्ट

After

प्रवीण [illegible]
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

44

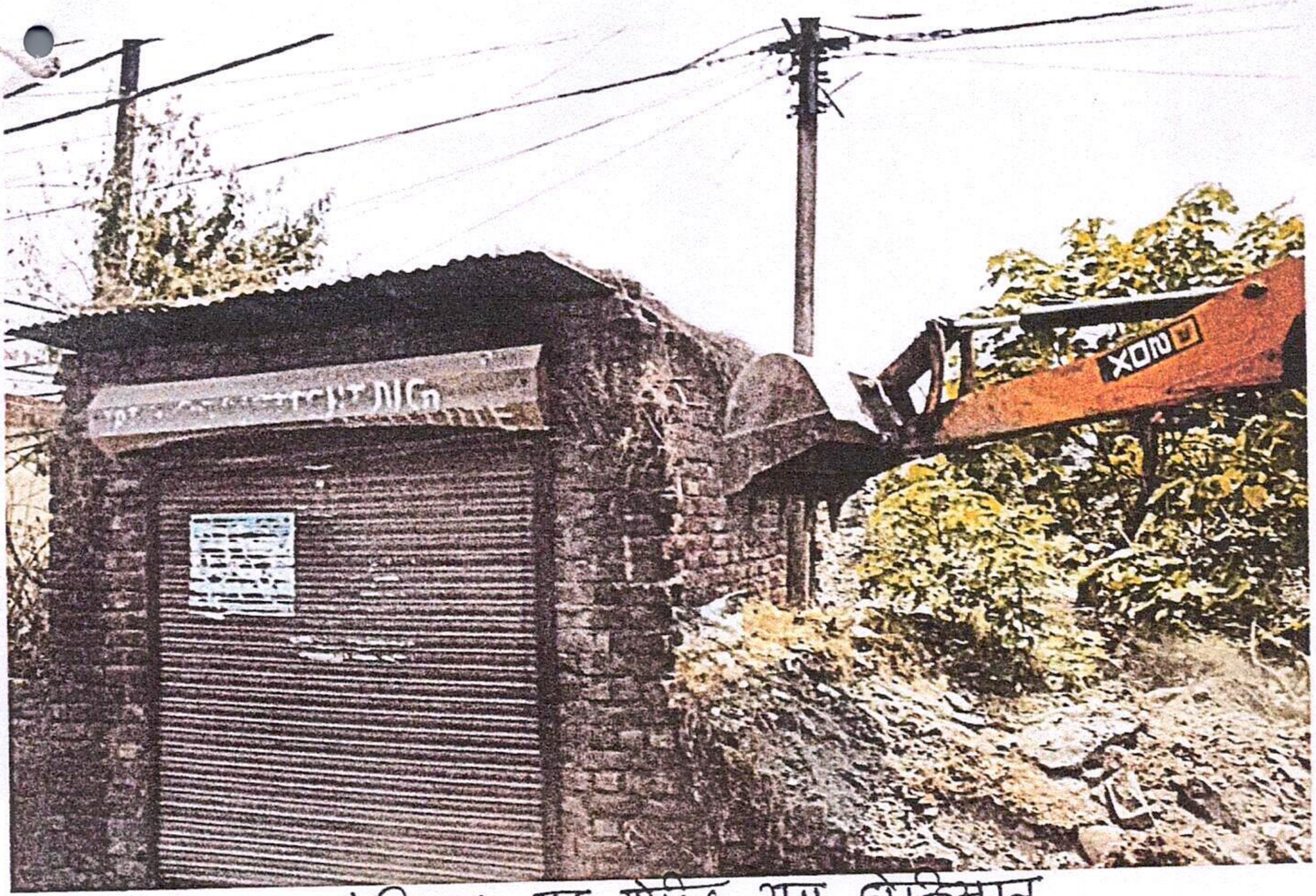

45 वेदभूषण डोभियाल पुत्र गोविन्द राम डोभियाल
479

प्रवीन कठैत
क० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग

45

Before

५६–५४० सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र त्रिलोक सिंह रावत

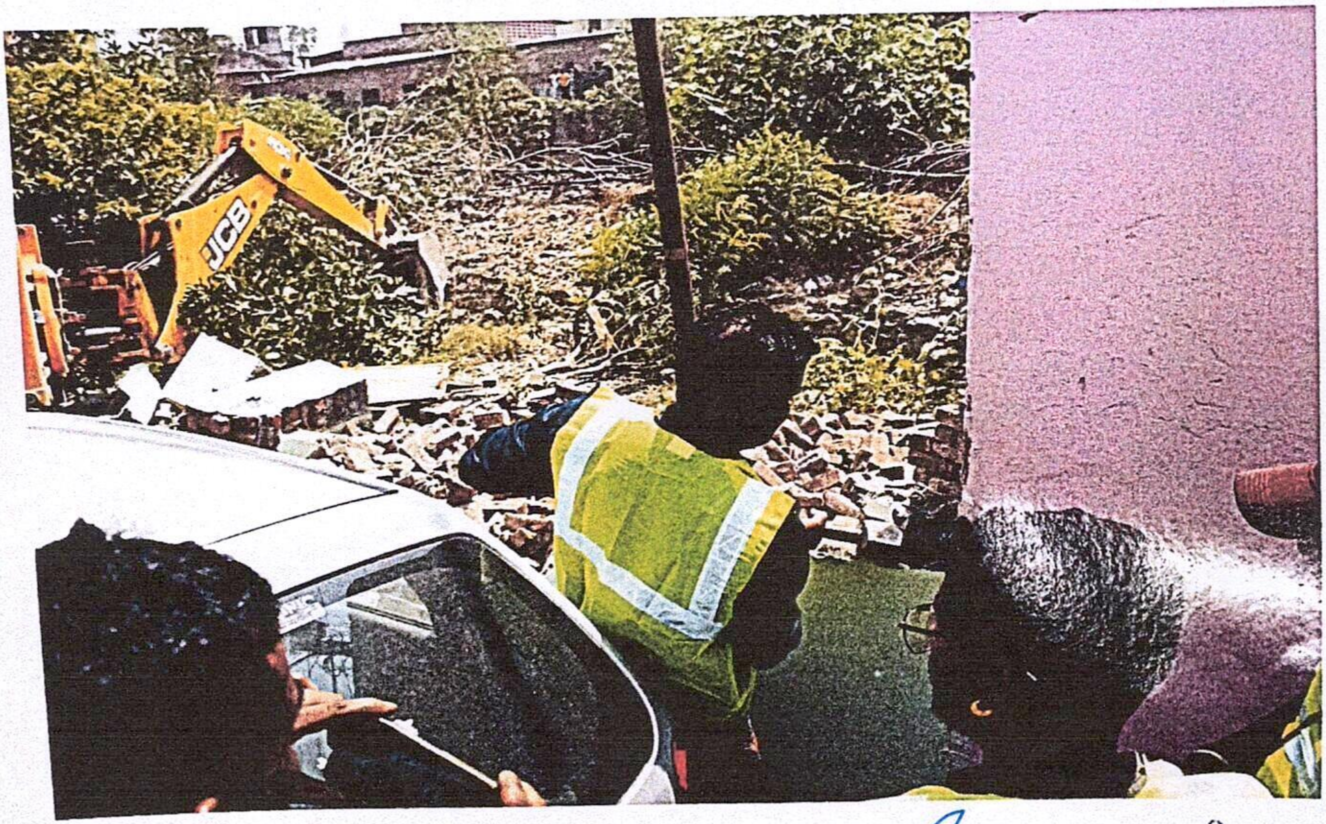

After

प्रवीण कुमार
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

46

Before

(50) 484
(51)
485

श्री के०के० बहुखण्डी, चन्दर रोड।

8

After

प्रवीण
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

47

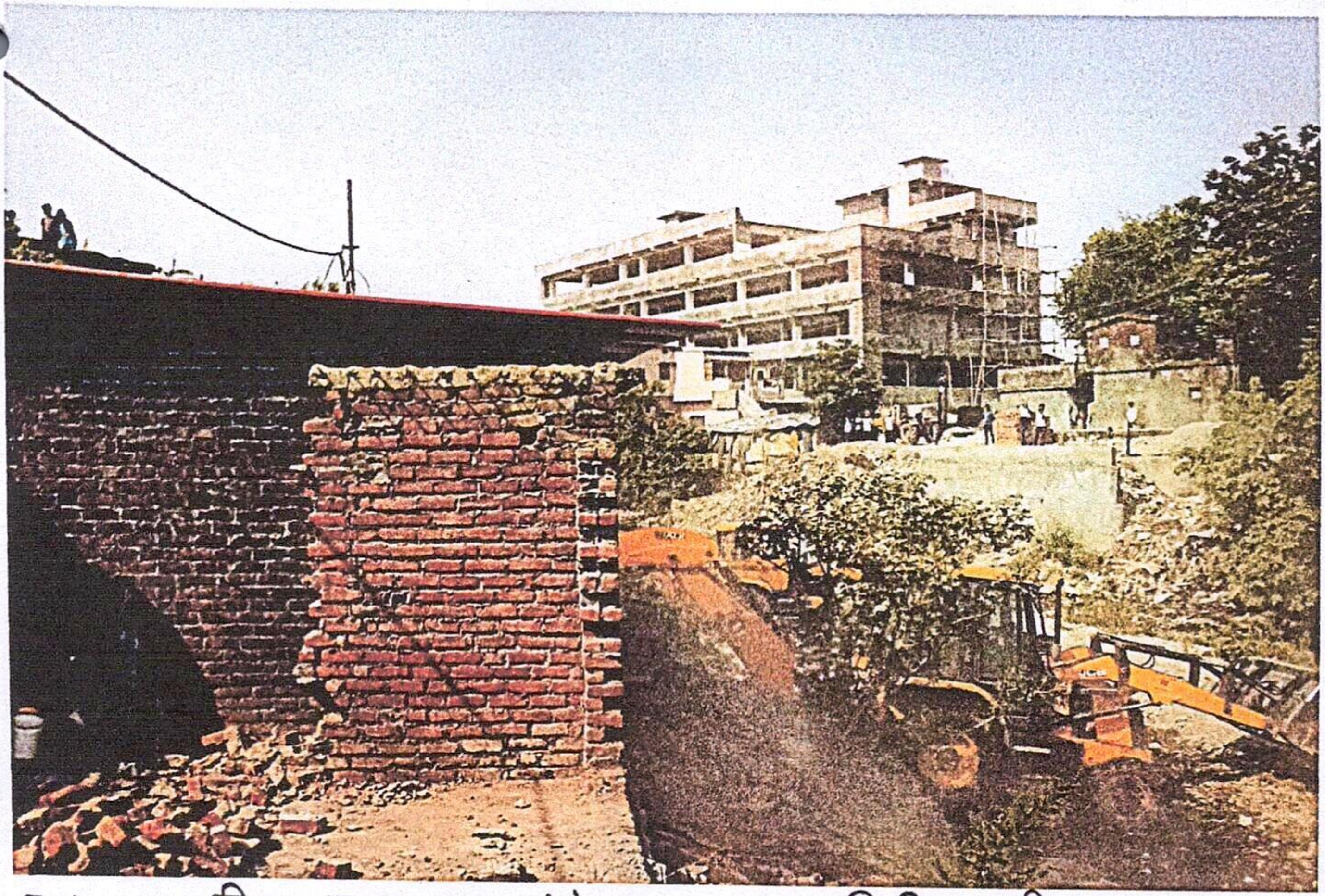

67 501 अनिल कुमार पुत्र छोटे लाल – वाल्मिकी बस्ती।

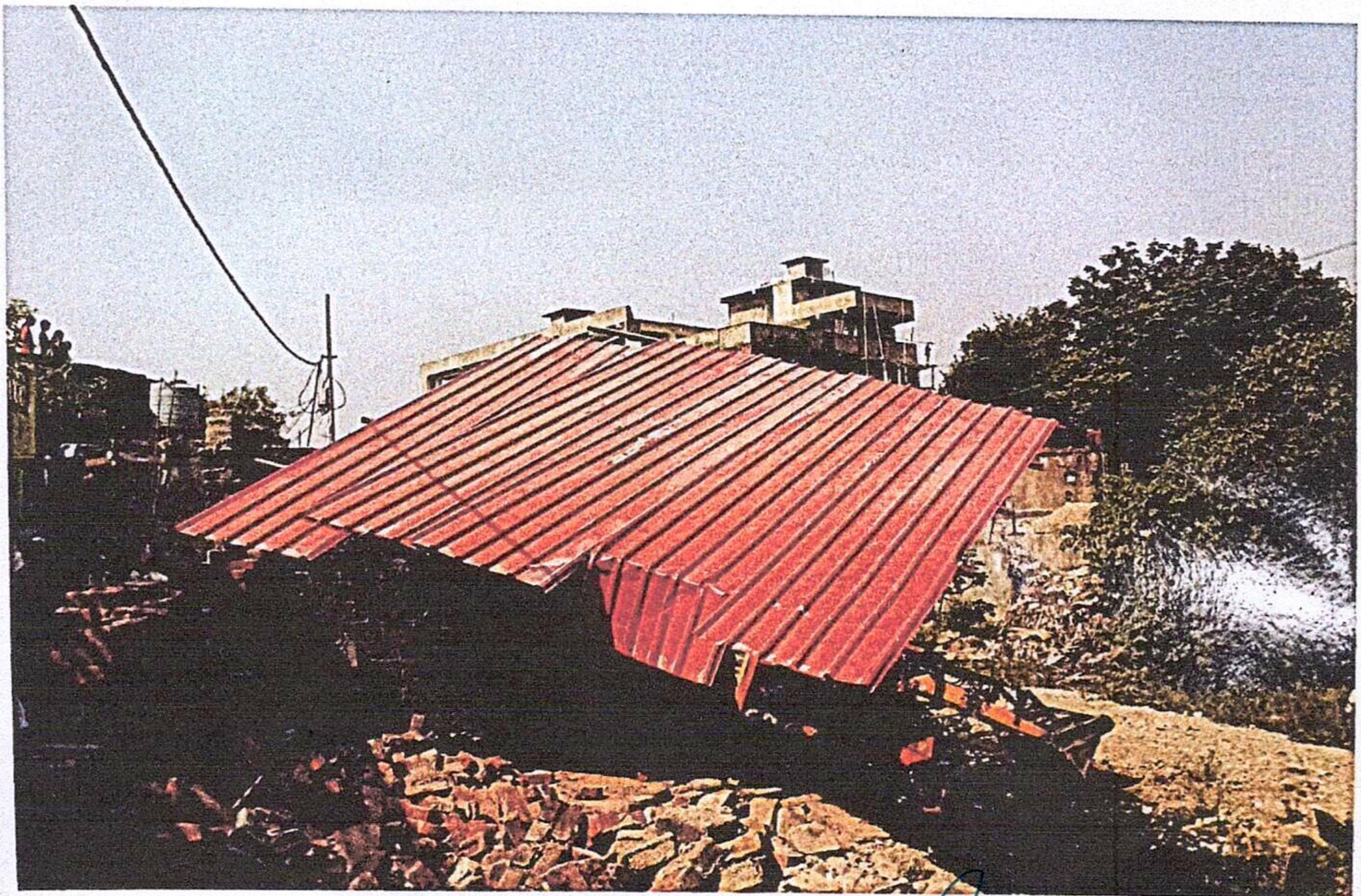

प्रवीन
व० कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

48

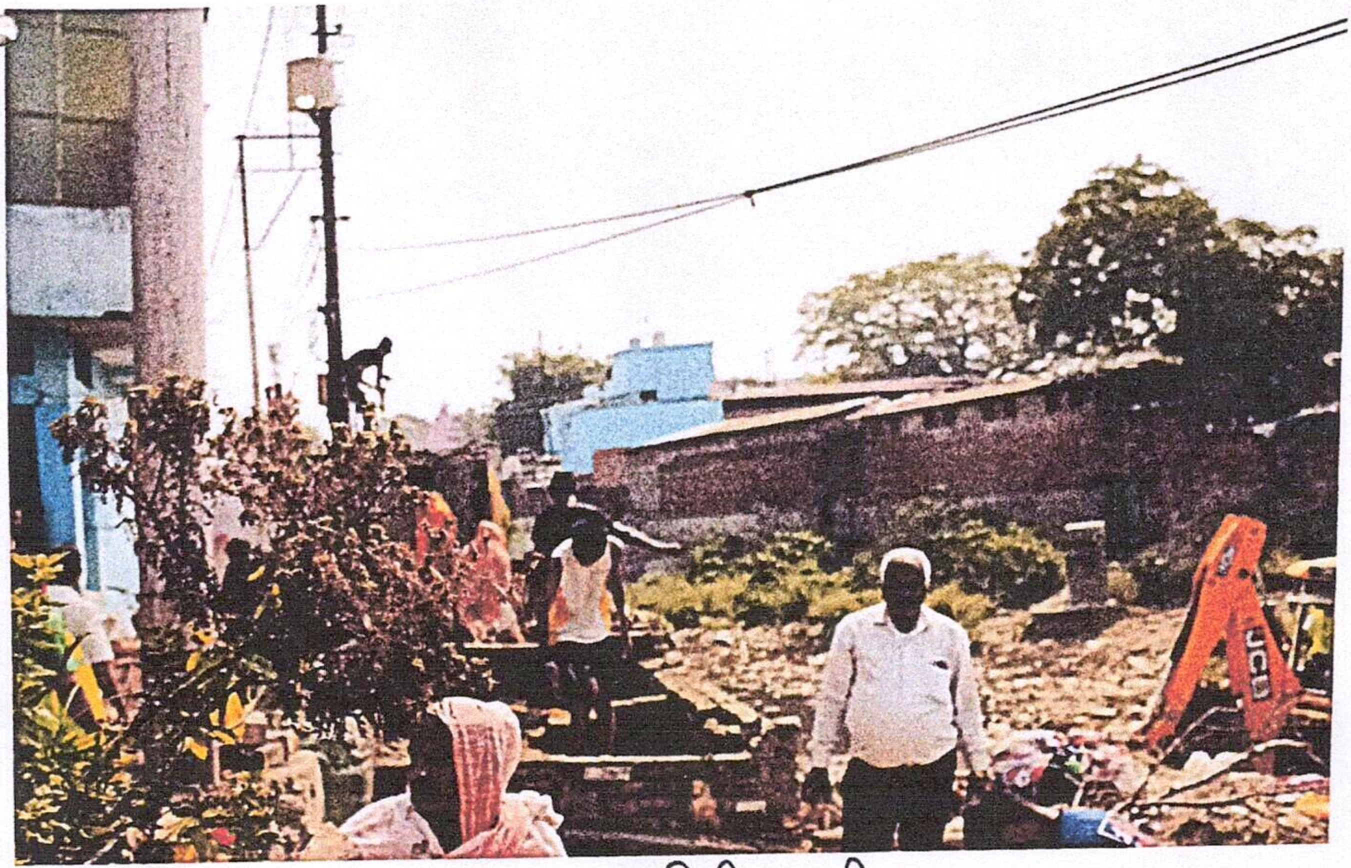

70 रजत पुत्र वेद प्रकाश बाल्मीकी बस्ती।
504

प्रवीण [illegible]
क० कर [illegible]
भूमि [illegible]
नगर निगम [illegible]

49

71
505
जयराम पुत्र बनवारी लाल वाल्मिकी बस्ती

प्रवीन सैनी
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

50

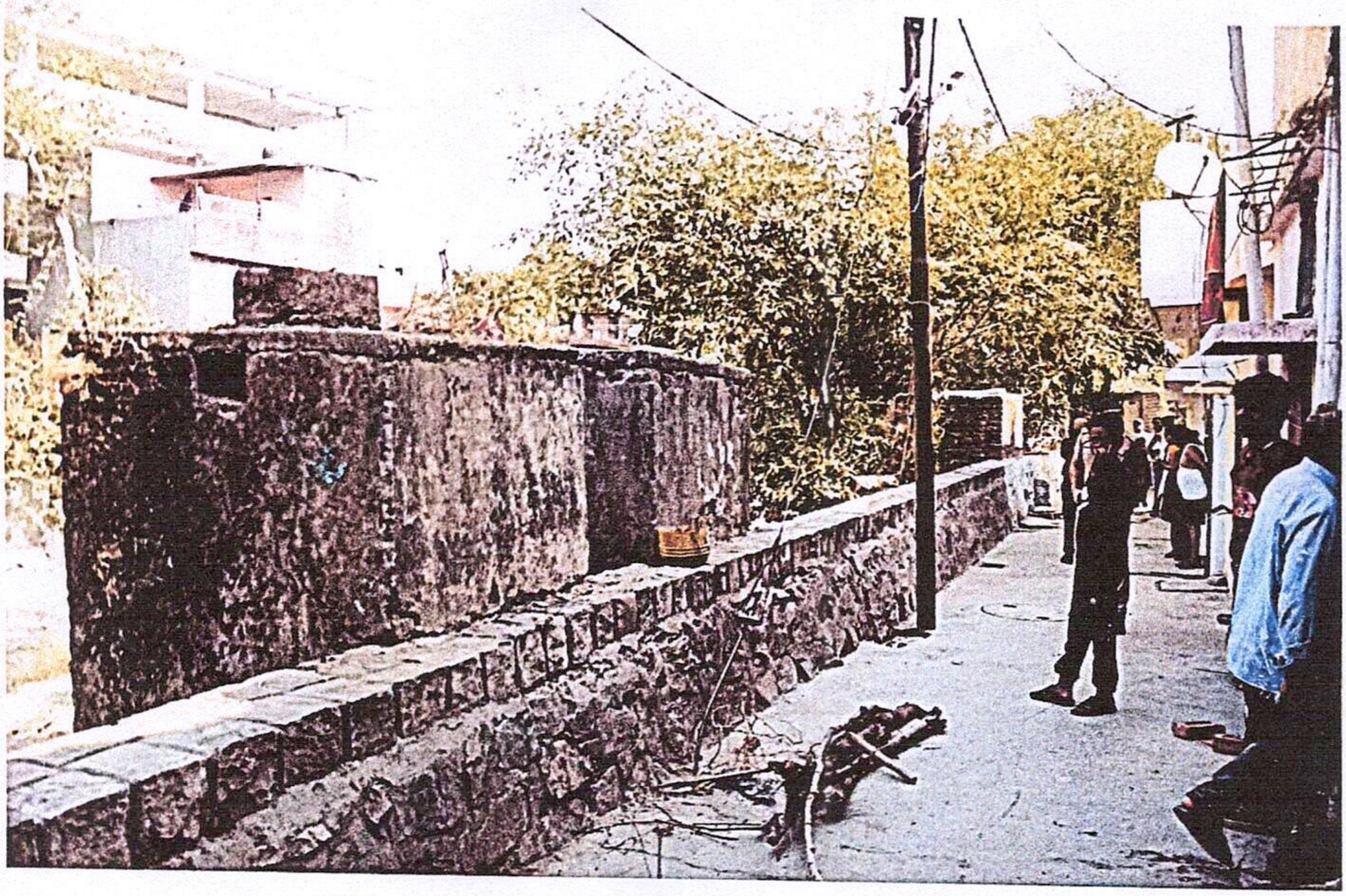

72
506 राहुल पुत्र लाल चन्द शास्त्रनगर अधोईवाला

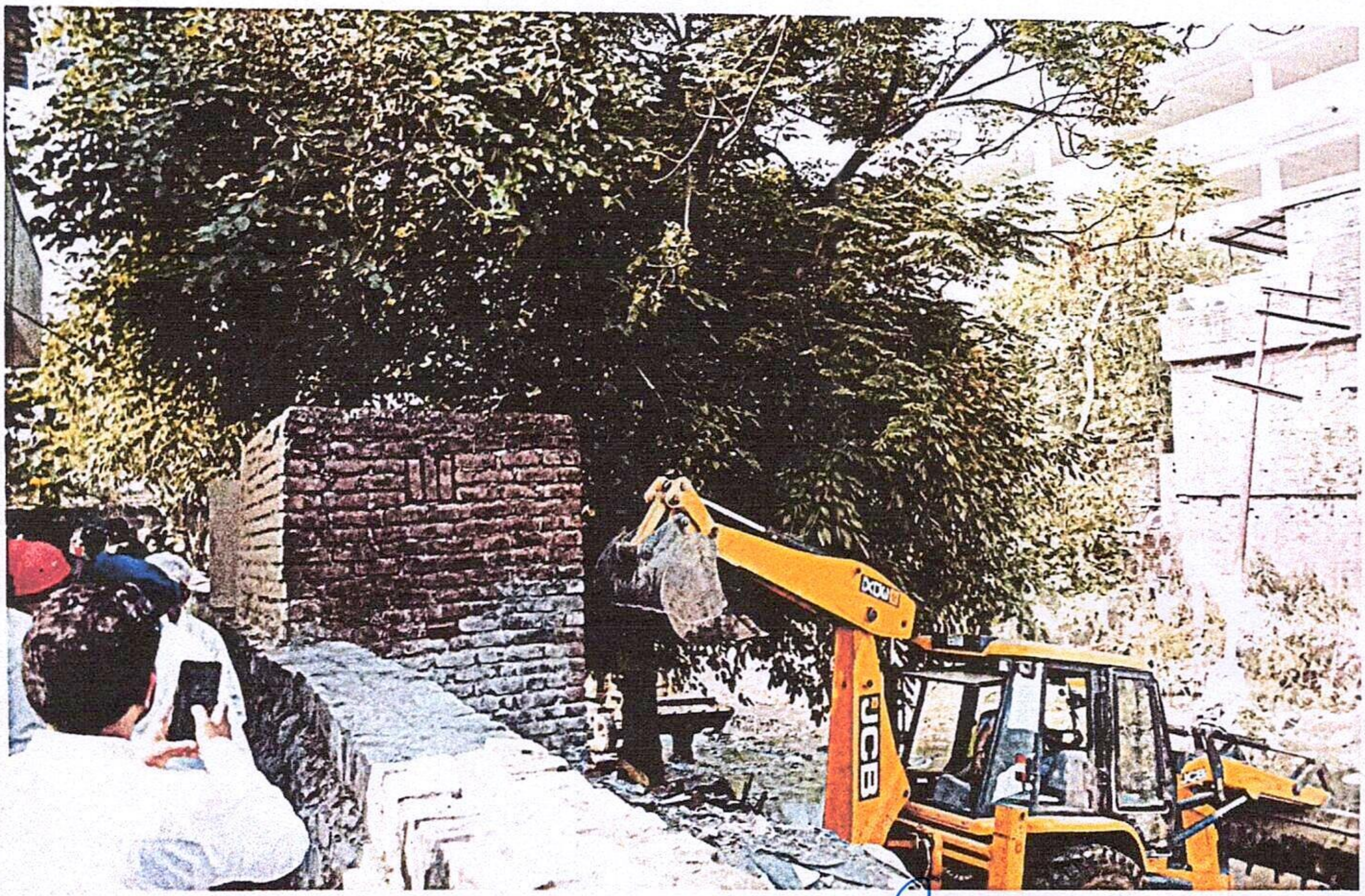

73
507 नन्द किशोर पुत्र तुलसी महतो

प्रवीन कुमार
कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

Deep Nagar
Encroachment
Removal ct.

Before

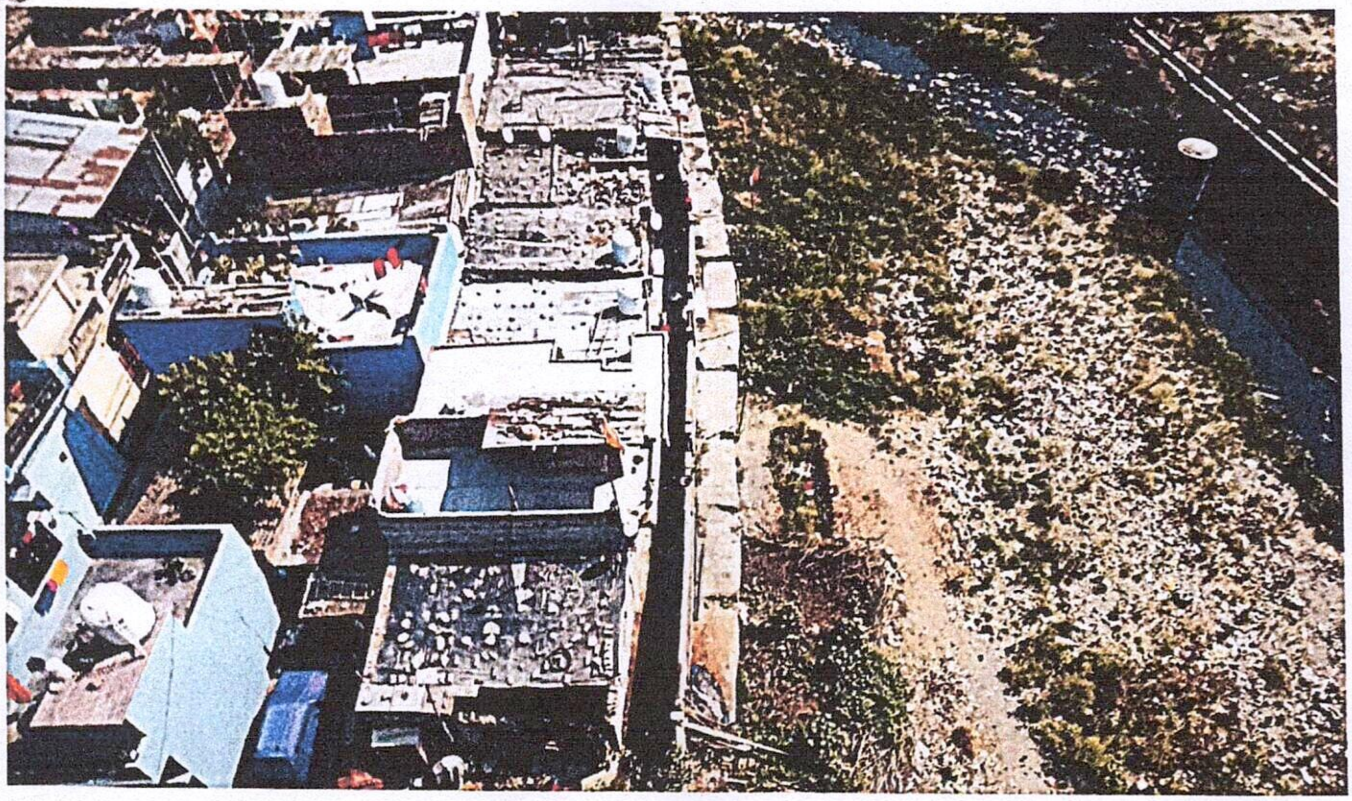

After

नगर निगम (देहरादून)

Before

85
521

नामालूम दीपनगर

After

नेपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहरादून)

53

454

अमर उजाला 8/6/2024

अतिक्रमण तोड़ने का कई संगठनों ने किया विरोध

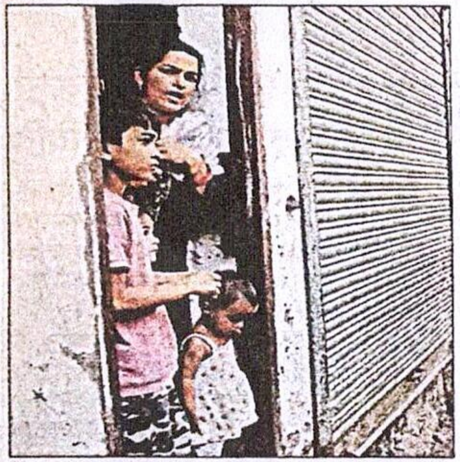

पुलिस मकान खाली करवाने लगी तो सहमकर दरवाजे से बाहर झांकने लगा एक परिवार। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। मलिनबस्ती में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई का विभिन्न संगठनों ने विरोध किया। इस दौरान कई संगठनों ने शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर विरोध जताया तो दूसरी ओर पूर्व विधायक ने बिना जांच किए मकानों को तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए।

सीपीआई एम, कांग्रेस, सपा, सीटू, चेतना आंदोलन और इंटक के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी मनमानी तरीकों से कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए।

उधर पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा है कि मलिन बस्तियों में अतिक्रमण के नाम पर अधिकारियों ने बिना दस्तावेजों की जांच किये बॉडीगार्ड में एक दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ दिया। उन्होंने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

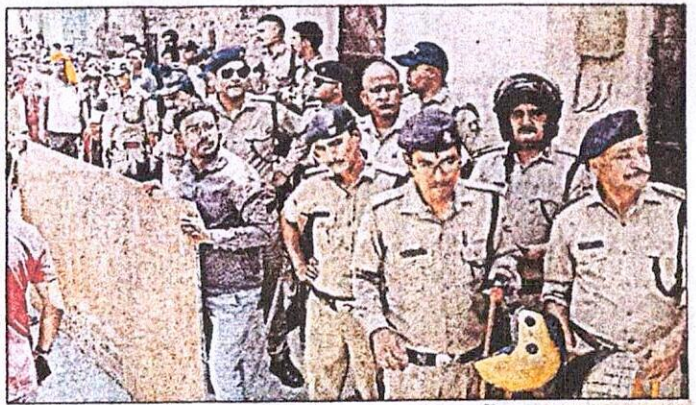

अतिक्रमण हटाने के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी। संवाद

280 लोगों ने एमडीडीए को दिए अपने घरों के वैध होने के प्रमाण

संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून। एमडीडीए के अधिकार क्षेत्र वाली मलिन बस्तियों में 280 लोगों ने अपने भवनों के वैध होने के प्रमाण और जवाब जमा कराए हैं। इनमें से 120 लोगों के पास 2016 से पहले काबिज होने के दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं। जबकि 100 से अधिक लोगों के जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दो सप्ताह के भीतर एमडीडीए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला सकता है।

बता दें कि नदी किनारे किए गए अवैध कब्जों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शासन और नगर निगम को कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। अब एनजीटी में सुनवाई से पहले कार्रवाई को लेकर भी दबाव है। ऐसे में नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों में 11 मार्च 2016 के बाद किए गए कब्जों को हटाया जा रहा है। इस दौरान कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

उधर, नदियों के किनारे मलिन बस्तियों में दो बस्तियां एमडीडीए के अधिकार क्षेत्र में आ रही है। काठ बंगला और वीर गबर सिंह बस्ती का यह इलाका करीब पांच किलोमीटर दूरी का है। इसमें करीब 400 लोगों के कब्जे हैं। पिछले दिनों एमडीडीए ने सभी परिवारों को नोटिस जारी कर मार्च 2016 से पहले के रिहायशी होने के प्रमाण मांगे थे। अभी तक 280 लोगों ने प्रमाण जमा कराए हैं।

जांच के दौरान इनमें से 120 लोगों के 2016 से पहले के बिजली-पानी के बिल आदि प्रमाण मिले हैं। अभी 100 अधिक लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं। जल्द ही इन्हें लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है, उसके अनुसार अवैध कब्जों की संख्या 150 से अधिक पहुंच सकती है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। नगर निगम निगम के बाद अब अपने अधिकार क्षेत्र वाली मलिन बस्तियों में एमडीडीए बुलडोजर चला सकता है।

400 लोगों को जारी किए गए हैं नोटिस, अवैध कब्जों पर जल्द चल सकता है एमडीडीए का बुलडोजर

जिन्होंने बिल संभालकर नहीं रखे उनका क्या

मलिन बस्ती के गरीब लोगों के सामने दिक्कत यह है कि अधिकांश लोगों ने 2016 से पहले के बिल संभालकर नहीं रखे। अब पुराने बिलों को निकलवाने के लिए बिजली और जलसंस्थान के चक्कर काट रहे हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में 2016 से पहले रह रहे लोगों को खुद को वैध साबित करने लिए भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।

110 बीघा भूमि की प्लॉटिंग के लिए हुआ निर्माण ध्वस्त कराया

देहरादून। एमडीडीए की ओर से विभिन्न जगहों पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत टीम ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस भी जारी किए थे। शुक्रवार को टीम ने तीन जगहों पर करीब करीब 110 बीघा भूमि में अनाधिकृत प्लॉटिंग के लिए किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

एमडीडीए की टीम शुक्रवार को कंडवाल रोड कंडोली पहुंची। यहां 30 से 35 बीघा भूमि में अनाधिकृत प्लॉटिंग की गई थी। इसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही टीम धोलाश रोड पर आमवाला शिवपुरी पहुंची। यहां करीब 30 बीघा में बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग की गई थी। इसे भी टीम ने ध्वस्त करा दिया। इस दौरान पुलिस बल की भी तैनात रही।

कार्रवाई के दौरान एई शैलेंद्र सिंह रावत, जेई विपिन सैनी एवं सुपरवाइजर नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। वहीं अड्डूवाला, शिमला बाईपास रोड पर करीब 45 बीघा भूमि में की गई अनाधिकृत प्लॉटिंग को भी टीम ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई एई अभिषेक भारद्वाज, जेई जितेंद्र मौर्य, जेई युगांक रावत, सुपरवाइजर अजय कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में संपन्न हुई। संवाद

हिन्दुस्तान 8/6/2024

देहरादून के जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बच्ची सामने वाला घर टूटता देखकर रोने लगी। • हिन्दुस्तान

देहरादून में शुक्रवार को जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान आसपास जमा लोगों की भीड़। • हिन्दुस्तान

देहरादून में शुक्रवार को जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान घर का सामान सुरक्षित जगह ले जाते लोग। • हिन्दुस्तान

देहरादून में शुक्रवार को जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला अपना घर टूटता देख रोने लगी। • हिन्दुस्तान

55

हिन्दुस्तान 8/6/2024

दून की बस्तियों में विरोध के बीच चली जेसीबी

नगर निगम और पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने जाखन वार्ड की बॉडीगार्ड बस्ती में अवैध मकानों का ध्वस्तीकरण किया

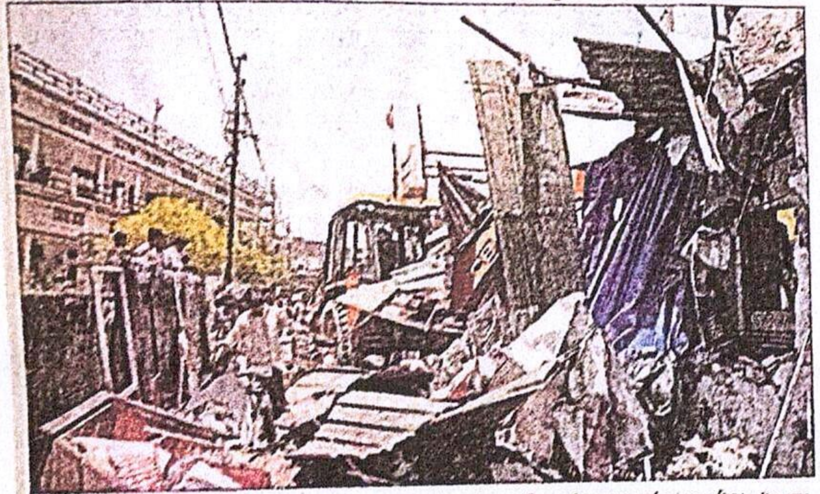

दून में शुक्रवार को जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण हटाती नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम। • हिन्दुस्तान

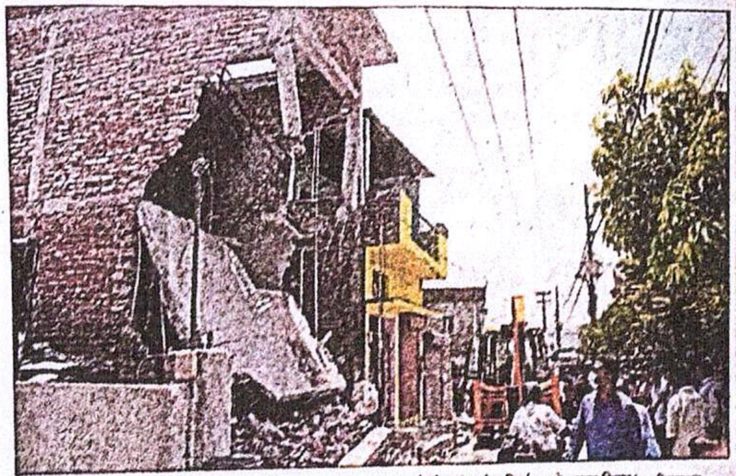

देहरादून में शुक्रवार को जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। • हिन्दुस्तान

- करीब आठ घंटे तक अवैध मकानों को तोड़ने के लिए चला अभियान
- स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से बॉडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आठ घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान जेसीबी से रिस्पना नदी के किनारे ग्यारह मार्च 2016 के बाद अवैध रूप से बने चिन्हित मकानों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही।

जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में सुबह ठीक साढ़े दस बजे के आसपास टीम कार्रवाई करने पहुंची। नदी से सटे कुछ मकानों पर, जहां जेसीबी नहीं जा सकी, वहां हथौड़े से कर्मचारियों ने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। मौके पर विरोध करने के लिए एकत्रित लोगों को पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी तो वे बैकफुट पर आ गए।

एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा कि मकान बनाने में जीवनभर की कमाई खर्च हो गई। उन्होंने कार्रवाई नहीं करने की अपील की। लेकिन, बारी-बारी से अन्य चिन्हित किए गए ग्यारह मकानों को ध्वस्त किया गया। टीम को पक्के मकान ध्वस्त करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि यहां पर बस्ती में नगर निगम के भूमि अनुभाग ने पहले 31 मकान चिन्हित किए थे। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के अनुरोध के बाद जांच की गई, जिसके बाद बीस मकान सूची से हटाए गए। दोबारा जांच के बाद ग्यारह मकान चिन्हित किए गए, जिनको अब ध्वस्त कर दिया गया है। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम में नगर आयुक्त गौरव कुमार, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल सहित पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

अब एमडीडीए की ओर से होगी कब्जों पर कार्रवाई

देहरादून नगर निगम के स्तर से करीब ग्यारह कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त करने का काम पूरा हो गया है। एमडीडीए ने जिन 412 मकानों को चिन्हित किया है, उनमें से ऐसे मकान अब ध्वस्त होंगे, जो 11 मार्च 2016 से पहले बने होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। कुछ मकानों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई से लोग पूरी तरह से सहमे हुए हैं।

जनप्रतिनिधियों को सुनाई खरी-खरी

मकान ध्वस्त होते देख लोगों ने जनप्रतिनिधियों के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले बसाते हैं, फिर घर उजड़ने पर कोई देखने तक नहीं आता है। एक महिला ने कहा कि अब कोई चुनाव में वोट मांगने आएगा तो उसे टूटे हुए मकान दिखाएंगे। साथ ही वोट नहीं करने की बात कही। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों को अपना दायित्व निभाना चाहिए।

डालनवाला थाने के पास सरकारी जमीन खाली कराई

नगर निगम की डालनवाला थाने के पास करीब साढ़े चार बीघा खाली भूमि है। यहां कुछ लोग झोपड़ियां बनाकर लंबे समय से रह रहे थे। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने पहले सड़क किनारे फिर सरकारी जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया। शुक्रवार को जेसीबी से झोपड़ियों को हटवाया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि जमीन के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। अवैध निर्माण हटाकर नगर निगम के स्वामित्व के बोर्ड लगवाया जाएगा।

सरकारी जमीनें बेचने वालों पर दर्ज हों केस

बस्तियों में सौ रुपये के स्टांप पेपर पर लाखों रुपये में सरकारी जमीनों का सौदा करने वाले बिचौलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। दीपनगर के बाद जाखन में भी यह बात सामने आई है कि सरकारी जमीन को बिना किसी डर के आगे लोगों को झांसा देकर बेचा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो दो से तीन जगह प्लॉट ले रखे हैं, जिस पर घर दुकान बनाए जा रहे हैं। बस्ती के कुछ वरिष्ठ नागरिक बोले, नगर निगम सख्त कार्रवाई करे।

पार्षदों के तो बस्ते जमा हो गए, उनको क्या लेना देना

कार्रवाई के दौरान मौके पर विरोध करने पहुंची महिलाओं ने कहा कि इस अभियान को रुकवाने के लिए निवर्तमान पार्षद क्यों मौके पर नहीं आ रहे। इसके जवाब में दूसरी महिला ने कहा कि उनके तो कई महीने पहले ही बस्ते जमा हो गए। उनको घर ध्वस्त होने से कोई लेना देना नहीं है। वहीं एक दिव्यांग व्यक्ति ने कहा कि आज तुम किसी का घर टूटते हुए तमाशा देख रहे हो, कल तुम्हारा घर टूटेगा तो और लोग भी तमाशा देखेंगे। पुलिस ने लोगों को

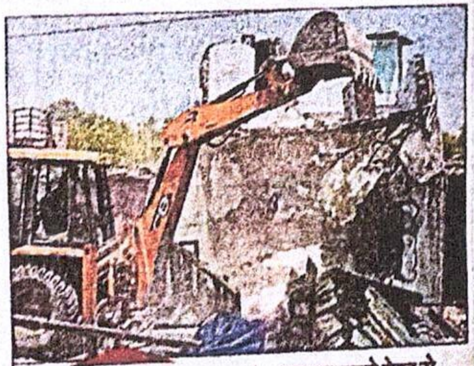

देहरादून में शुक्रवार को जाखन वार्ड स्थित बॉडीगार्ड बस्ती में अवैध कब्जे हटाती नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम। इस दौरान विरोध भी हुआ। • हिन्दुस्तान

अवैध मकानों को कैसे मिले बिजली कनेक्शन

बस्तीवासियों का कहना था कि अवैध रूप से बने हुए मकानों को बिजली-पानी के कनेक्शन नहीं देने चाहिए। पहले लोग कच्चा निर्माण कर रहना शुरू करते हैं। कनेक्शन मिलने के बाद पक्का निर्माण करवाते हैं। लाखों खर्च कर मकान पर पक्की छत डाल दी। अब उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मकान ढहते देख रो पड़े बच्चे, सामान टूटा

संयुक्त टीम ने जेसीबी से जैसे ही मकानों को ध्वस्त करना शुरू किया, आसपास खड़े बच्चे अपना मकान टूटता देख रोने लगे। एक बड़े दो मंजिला मकान में दो फ्रिज, कूलर समेत काफी सामान कार्रवाई के दौरान टूट गया। लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मकान में आग लगने से काफी नुकसान हुआ था, अब जो नया सामान जुटाया था वह भी ध्वस्तीकरण के दौरान टूट फूट गया। लोगों ने कहा कि सामान हटाने का परिवार को कुछ समय मिलना चाहिए था।

457

56

दैनिक जागरण 8/6/2024

बाडीगार्ड बस्ती में अवैध निर्माण पर चली जेसीबी

मामूली विरोध के बीच नगर निगम ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, देहरादून: [illegible]

[illegible]

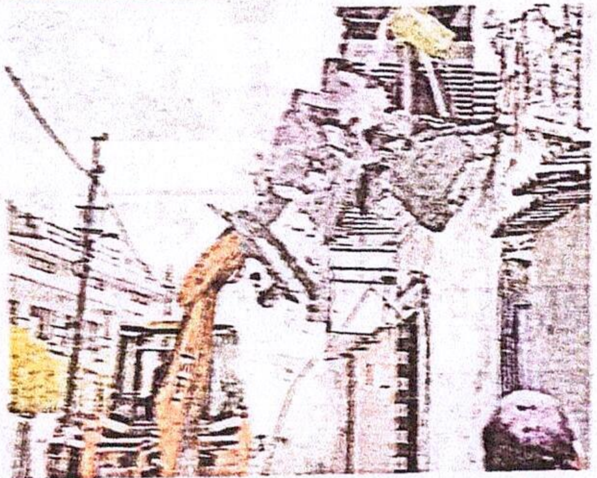

बाडीगार्ड बस्ती में नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण ध्वस्त किए • जागरण

ध्वस्तीकरण के दौरान बाल-बाल बचा कर्मचारी

जेसीबी से दो मंजिला भवन को गिराते समय कर्मचारी की जान सांसत में आ गई। भवन का आधा हिस्सा जेसीबी की ओर [illegible] गिर गया, [illegible] कर्मचारी की ओर भी ईंट-पत्थर और सरिया आ गए। गनीमत रही कि [illegible] कर्मचारी से कुछ दूरी पर गिर गया।

बाडीगार्ड बस्ती में अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते घर से सामान को निकालते श्रमिक • जागरण

कार्रवाई के लिए मसूरी नगर पालिका के पास नहीं संसाधन

रिस्पना नदी के किनारे मसूरी नगर पालिका की जमीन पर भी 12 अतिक्रमण हैं, लेकिन अभी तक पालिका इन पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। मसूरी नगर पालिका ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस तो [illegible] लेकिन ध्वस्तीकरण के लिए संसाधन नहीं जुटा पाई है। पालिका की ओर से देहरादून नगर निगम से संसाधन मांगे जा रहे हैं। अब [illegible] जेसीबी समेत अन्य संसाधन जुटने के बाद पालिका की ओर से कार्रवाई हो सकती है।

रायपुर रोड पर भी ध्वस्त किए अवैध निर्माण

[illegible] नगर निगम की भूमि से भी अतिक्रमण हटाया गया। [illegible] नगर निगम की जमीन पर [illegible] भूमि के पूर्व में कुछ [illegible] की ओर से भी कब्जे का प्रयास किया जा चुका है।

अभी दस्तावेजों की जांच में ही उलझा एमडीडीए

[illegible] अभी कार्रवाई नहीं हुई है। एमडीडीए की ओर से [illegible] और निर्माण संबंधी अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एमडीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी संबंधित व्यक्तियों की ओर से आपत्ति जताते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

[illegible] कार्रवाई के दौरान महिलाएं बिलखतीं हुई राजनेताओं और सरकार को कोसती नजर आईं।

बाडीगार्ड बस्ती में शुक्रवार को नगर निगम व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाए गए। इस दौरान मौजूद पुलिस व स्थानीय लोग • जागरण

देहरादून की और भी खबरें पढ़ें www.jagran.com

विपक्षी दलों ने की मलिन बस्तियों के लिए कानून बनाने की मांग

देहरादून : विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने बस्तियों में हो रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया है। इसे लेकर एक प्रतिनिधि मंडल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिला और बस्तियों को बचाने के लिए कानून बनाने की मांग की। साथ ही [illegible] में [illegible] अभियान में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया।

शुक्रवार को राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन [illegible], कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, [illegible] और इंटक के पदाधिकारियों ने विधानसभा में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने शहरी विकास मंत्री से निवेदन किया कि ध्वस्तीकरण अभियान को रोका जाए। वर्ष 2016 के कानून के प्रविधानों के अनुसार सरकार को बस्तियों का नियमितीकरण और पुनर्वास करना था, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए तत्काल सरकार इस पर अध्यादेश लाए। शहरी विकास मंत्री ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बस्तियों में बगैर सुनवाई के न हो कार्रवाई : पूर्व विधायक राजकुमार ने बाडीगार्ड बस्ती में निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने बस्तीवासियों को बेघर किए जाने के मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि ध्वस्तीकरण से पहले दस्तावेजों की जांच की जाए और बगैर सुनवाई के किसी को भी बेघर न किया जाए। (जासं)

57

458

अमर उजाला 8/6/2024

निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की सात दिन में रिपोर्ट तलब की

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, मलिन बस्तियों के लिए कॉपर्स फंड बनेगा

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की रिपोर्ट सात दिन में तलब की है। उन्होंने अफसरों को नसीहत दी कि बस्तियों के सुधार, पुनरुद्धार और पुनर्वास में संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ काम किया जाए।

उन्होंने मलिन बस्तियों के विकास के लिए कॉपर्स फंड बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय में राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा, मलिन बस्तियों में विकास, पुनरुद्धार और पुनर्वास की कार्ययोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू होना है।

जिलाधिकारियों को नगर निकायों में मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बाद रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश देतीं मुख्य सचिव। -सूचना विभाग

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनरुद्धार, पुनर्वास के कार्यों में संवेदनशीलता एवं मानवीयता का ध्यान रखा जाए।

उन्होंने इस संबंध में शहरी विकास विभाग और आवास विभाग की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए कि वह सफाई कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास एवं बीमा की व्यवस्था करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करे। बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

228 मलिन बस्तियां चिह्नित की गईं

बैठक में जानकारी दी गई कि 21 दिसंबर 2016 की विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रदेश में अलग-अलग श्रेणियों में 228 मलिन बस्तियां चिह्नित हैं। इनमें जिला बागेश्वर में श्रेणी एक की चार मलिन बस्तियां और श्रेणी दो की दो, हरिद्वार में श्रेणी एक की 57 मलिन बस्तियां, श्रेणी दो की दो और श्रेणी तीन की 24, नैनीताल में श्रेणी एक की 37, श्रेणी दो की एक, श्रेणी तीन की 23, अल्मोड़ा में श्रेणी एक की चार और देहरादून में कुल 128 मलिन बस्तियां चिह्नित हैं।

8

ये कैसा कानून... पहला-तीसरा तोड़ा, बीच का घर छोड़ा

बाल-बाल बचा चालक जेसीबी चालक का मकान तोड़ रही थी। इसी दौरान मकान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जेसीबी के केबिन का हिस्सा टूट गया। इस कारण चालक राकेश के सिर पर हल्की चोट आई।

देहरादून। मजाक... ये कैसा कानून है? अगले-बगल और तीसरा मकान तोड़ दिया और इन दोनों के बाद के मकान को छोड़ दिया। नगर निगम की टीम के पहुंचने के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने कुछ ना कुछ विरोध भी किया। कार्रवाई के दौरान पूरी टीम लोगों को समझाती रही कि जिनके भी मकान बचे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार के अध्यादेश 2018 का लाभ मिला है।

दरअसल, निगम यहां काफी हिस्सों को मलिन बस्ती के अतिक्रमण किया गया है। इन मकानों पर समय-समय पर कार्रवाई की तलवार लटकती रही है। राजनीतिक पार्टियों ने मलिन बस्तियों को लेकर कई बार मुद्दा बनाया। 2018 में भाजपा सरकार ने मलिन बस्तियों के इन मकानों को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाकर इन्हें बचाया था। इस अध्यादेश में मार्च 2016 से पहले बने मकानों को लाभ मिला था। तब से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने अपने मकानों को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया।

सामान के साथ जमींदोज किया मकान

नगर निगम ने कई बार नोटिस भेजे। लोगों को मकान खाली करने के लिए फोन किए, लेकिन मकान खाली नहीं हुए। शुक्रवार को जब नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची तो एक भी मकान ऐसा नहीं मिला जिसे खाली किया गया हो। टीम ने मजदूर लगाकर मकान खाली कराए। दो-तीन मकान खाली नहीं हो पाए थे कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। एक मकान का सामान मलबे में ही दब गया। बीच में कार्रवाई रोककर सामान निकाला गया।

इसके बाद उसका बिजली कनेक्शन वहां से हट गया। नए मकान मालिक आए तो उनका बिजली कनेक्शन वर्ष 2016 के बाद लगा।

इस कारण वह इस कार्रवाई के जद में आ गए। निगम ने इन सभी अतिक्रमणों को मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण मान लिए। यही कारण रहा कि जब निगम की कार्रवाई हुई तो बीच-बीच में कई मकान टूटने से बच गए। शुक्रवार को निगम ने जब कार्रवाई की तो लोगों ने इस बात को लेकर कई सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि जब एक मकान तोड़ा जा रहा है तो उसके बराबर का मकान कैसे छोड़ा जा सकता है जो अतिक्रमण की जद से कैसे बाहर हो सकता है।

नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान मलिन बस्ती के लोगों के सवालों का जवाब देती रही। बीच में मकान छोड़ना कई बार टीम के लिए मुश्किल भी बना और लोगों ने इसको आधार बनाकर विरोध भी किया। लोगों के सवालों के जवाब निगम ने कानून के हिसाब से दिए कि 2018 का अध्यादेश 2016 से पहले हुए अतिक्रमण को संरक्षित करता है, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ब्यूरो

59

अमर उजाला 460 8/6/2024

बॉडीगार्ड में चला बुलडोजर, 11 अतिक्रमण

एनजीटी के आदेश पर किए गए सर्वे में चिह्नित किए गए थे रिस्पना किनारे बने अतिक्रमण

संवाद न्यूज एजेंसी

जाखन स्थित बॉडीगार्ड कॉलोनी में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को जेसीबी से तोड़ता नगर निगम कर्मचारी। संवाद

देहरादून। जाखन क्षेत्र की मलिन बस्ती बॉडीगार्ड में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों में नगर निगम का बुलडोजर चला। छह घंटे की कार्रवाई के दौरान 11 मकान तोड़े गए। इससे मलिन बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वह कुछ न कर सके। शाम चार बजे तक कार्रवाई पूरी कर टीम लौट गई।

एनजीटी के आदेश पर रिस्पना किनारे अतिक्रमण को लेकर निगम ने सर्वे किया था। इस दौरान 524 अतिक्रमण निगम की टीम को मिले थे, जिनमें 89 अतिक्रमण निगम की संपत्ति पर मिले थे। जांच के दौरान 15 मकानों को कार्रवाई की जद से बाहर कर दिया गया था। इसमें 74 अतिक्रमण शेष रह गए थे। निगम ने दो दिनों तक कार्रवाई करते हुए 54 अतिक्रमण हटा दिए थे, जबकि 20 मकान शेष रह गए थे।

इस दौरान बड़ी संख्या में हुए विरोध और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद बचे 20 मकानों की फिर जांच हुई तो नौ और अतिक्रमण कार्रवाई की जद से बाहर हो गए। निगम को इन 11 मकानों पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन मतगणना में पुलिस-प्रशासन की व्यस्तता के कारण पुलिस बल नहीं मिल पा रहा था। इस कारण अभियान बीच में ही रुक गया। मंगलवार को मतगणना संपन्न होने के बाद निगम ने फिर से पुलिस बल मांगा तो बृहस्पतिवार शाम को फोर्स मिल गई।

निगम ने एक के बाद एक रीना, नवाब, राहुल, अनीश, सावित्री और अजय के मकान सहित 11 अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए उनको तोड़ दिया।

विरोध की आशंका पर पुलिस बल था तैनात

जाखन क्षेत्र में बड़े विरोध की आशंका थी। इसके चलते निगम ने फोर्स की मांग की थी। सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई सहित 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इनके अलावा निगम की टीम में भी 60 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर मौजूद रहे। अभियान में तीन जेसीबी लगाई गई थीं। आपात स्थिति के लिए फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। टीम में अपर तहसीलदार विवेक राजौरिया, नगर आयुक्त गौरव कुमार, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, कर अधीक्षक राहुल कैंथोला के साथ ही पुलिसकर्मी और कई मजदूर थे।

अतिक्रमण हटाने के दौरान गली में ख

कागजों की तीन-तीन बार कराई

मकान अतिक्रमण के दायरे से बाहर हों, इसके लिए
कनेक्शन की रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सहि
कराए। निगम ने संबंधित विभाग से भी उन कागजों क
सके ये कागजात सही हैं।

अतिक्रमण हटाने के दौरान मकान खाली कर ग

उत्तराखंड की बेटी

देहरादून। उत्तराखंड की वादियों में
सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। उत्तरा
दर्शक फिल्म के कुछ सीन देख भा
निर्देशन में बनी फिल्म में शिक्षा के
किरदार निभाने वाली रिया बलूनी क
भूमिका निभा रहे अविनाश ध्यानी के

पदक विजेता खिल

देहरादून। 23वीं प्रादेशिक जनपद
पेंचक, सिलाट (पुरुष-महिला) प्र
सम्मानित किया गया। छह से सात
में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम,
पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा

पॉक्सो अधिनियम

देहरादून। जनपद न्यायाधीश जिला
को सचिव सीमा डुंगराकोटी ने महि
हिंसा, बाल विवाह, बालश्रम, बाल
शिक्षा के अधिकार के बारे में जान
लगाए गए, जहां पर 90 महिलाओं

साइबर सुरक्षा पर से

देहरादून। कौशल और अवसरों के
विश्वविद्यालय में एथिकल हैकिंग
आयोजन किया गया। शुक्रवार को
काउंसिल के सहयोग से आयोजित
ने कहा, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में
प्रीति मिश्रा ने एथिकल हैकिंग और

नदियों के संरक्षण क

देहरादून। मेकिंग ए डिफरेंस बाय
मैराथन का आयोजन किया जाएगा।
संदेश देंगे। संस्था के प्रिंस कपूर ने
लिए प्रतिभागी नजदीक सुविधा स्टो
निषाद, दक्ष नरूला, अक्षिता सजवा

मानसिक रूप से स्व

60

दैनिक जागरण 7/6/2024

बाडीगार्ड बस्ती में अवैध निर्माण के विरुद्ध आज होगी कार्रवाई

- राजनीतिक दवाव में दस्तावेज जांचने के नाम पर रोकी गई थी अभी तक कार्रवाई
- 20 में से अब 10 निर्माण ही मिले अवैध, पुलिस बल की मौजूदगी में होगा ध्वस्तीकरण

जागरण संवाददाता, देहरादून: रिस्पना किनारे वर्ष 2016 के बाद किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई आज यानी शुक्रवार से फिर शुरू की जाएगी। करीब दो सप्ताह के ब्रेक के बाद दस्तावेजों की जांच कर बाडीगार्ड बस्ती में शेष 10 निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। राजपुर रोड और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद मसूरी विधानसभा क्षेत्र की बाडीगार्ड बस्ती में चिह्नित अवैध निर्माण को हटाने से पहले ही राजनीतिक दवाव के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी और चिह्नित निर्माण को लेकर आ रही आपत्तियों पर दोबारा दस्तावेज जांचे गए। जिसमें करीब आधे निर्माण सही पाए जाने पर उन्हें सूची से हटा दिया गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि आज पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

एनजीटी के निर्देश पर रिस्पना के किनारे वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण के सर्वे में कुल 524 अतिक्रमण पाए गए थे। 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर मिले। दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 414 से अधिक अतिक्रमण होने की बात सामने आई। करीब एक माह पूर्व नगर निगम ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद 74 अतिक्रमण की अंतिम सूची तैयार की थी। जिसमें चूना भट्ठा से बलबीर रोड बस्ती तक 46 निर्माण ध्वस्त किए गए और दीपनगर बस्ती में आठ मकान जमींदोज हुए। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बाडीगाड बस्ती में चिह्नित 20 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही राजनीतिक दवाव के चलते नगर निगम के कदम ठिठक गए। इसके बाद दोबारा दस्तावेजों की जांच की गई और 20 में से 10 निर्माण ही कार्रवाई की जद में रह गए। डेढ़ सप्ताह पूर्व निगम ने पुलिस बल उपलब्ध न होने की बात कहकर कार्रवाई टाल दी थी।

एमडीडीए की कार्रवाई पर स्थिति स्पष्ट नहीं

एमडीडीए की ओर से रिवर फ्रंट की जमीनों पर किए गए कब्जों को लेकर नोटिस तो भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। पहले नोटिस के जवाब में प्राप्त हो रही आपत्तियों की जांच की जा रही है और दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। बीते दो सप्ताह से एमडीडीए कार्यालय में संबंधित लोग पहुंच रहे थे। बताया जा रहा है कि एमडीडीए ने दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली है, लेकिन अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

दैनिक 7/6/24 जागरण